



लुम्बाराम बनाम जुगताराम रा.वा.स. 125/2017 अ ( 137/06, 613/2010 )

डिगरी बमूकदमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6.7 जाब्ता दीवानी)

• अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम खीवसर  
व इजलास श्री राजकेश मीना आर ए एस

लुम्बाराम के कायममुकाम :-

- 1 पन्नीदेवी पत्नि लुम्बाराम
- 2 बालीदेवी पुत्र लुम्बाराम
- 3 खेतसिंह उर्फ रेवन्तराम पुत्र लुम्बाराम
- 4 श्री रामसिंह पुत्र लुम्बाराम के कायममुकाम
- 4/1 अन्नूदेवी पत्नि रामसिंह
- 4/2 श्री जगदीश पुत्र रामसिंह
- 4/3 शारदा पुत्री रामसिंह
- 4/4 श्री दमाराम पुत्र रामसिंह
- 4/5 श्री मूलाराम पुत्र रामसिंह
- 4/6 श्री कैलाश पुत्र रामसिंह
- 4/7 उर्मिला पुत्र रामसिंह नाबालिग. जरिये सरक्षक माता अन्नूदेवी पत्नि रामसिंह तमाम जातियान जाट निवासीगण चाडी जिला जोधपुर

बनाम

- ग-  
3
- 1 जुगताराम पुत्र जयराम
  - 1 हरकाराम पुत्र जयराम
  - 1 जीयाराम पुत्र जयराम
  - 1 मोहनराम पुत्र हणुतराम
  - 1 रघुनाथराम पुत्र हणुतराम
  - 1 पुनाराम पुत्र हणुतराम
  - 1 परखाराम पुत्र हणुतराम
  - गची पत्नि हणुतराम
  - साराम पुत्र इमरताराम
  - लछीदेवी पत्नि भेराराम तमाम जातियान कुम्हार निवासीगण करनू तहसील खीवसर
  - 1 जगदीश पुत्र भूराराम
  - 1 दुर्गाराम पुत्र कुम्भाराम जातियान जाट निवासीगण पाबुसर तहसील खीवसर जिला गौर
  - हसीलदार नागौर

॥ खातेदारी एवं स्थाई निषेधाज्ञा के अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काष्ठकारी  
। मुकदमान राजस्व वाद संख्या :-125/2017 अ ( 137/06, 613/2010 ) यह मुकदमा  
ने अनफिसाल कर्तई रुबर हमारे व हाजरी वादी...मिनजानिब मुद्ई व प्रतिवादी गण  
। मुद्दयलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

परोक्त विवेचन के आधार पर उभयपक्षकारान का राजीनामा स्वीकार किया जाता है  
गण का वाद जरिये राजीनामा डिकी किया जाता है।

  
सहायक कलक्टर  
(SDO), खीवसर

लुम्बाराम बनाम जुगताराम रा.वा.स. 125/2017 अ ( 137/06, 613/2010 )

वादी लुम्बाराम एवं रामसिंह पुत्र लुम्बाराम के कायममुकाम के बंट में :- मौजा पाबूसर के खेत ख.न. 180 रकबा 175.02 बीघा में से 105.01 बीघा पूर्वी हिस्सा व वादी लुम्बाराम के हक बंट व कब्जे काश्त खातेदारी में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या 01 जुगताराम के बंट में :- खेत मौजा पाबूसर के ख.न. 180 रकबा 175/2 बीघा वाके पाबूसर में से 8.15 बीघा बीच में पूसाराम के पश्चिम व तुलछी से पूर्व में प्रतिवादी सं. 1 जुगताराम के बंट कब्जे काश्त व खातेदारी में रखा गया है।

3. प्रतिवादी संख्या 02 हरकाराम के बंट में :- खेत मौजा पाबूसर के ख.न. 180 रकबा 172.02 में से 8.15 बीघा पश्चिमी दक्षिणी हणुताराम से पूर्व में व पूसाराम से पश्चिम में प्रतिवादी संख्या 2 हरकाराम के बंट खातेदारी व कब्जे काश्त में रखा गया है।

4. प्रतिवादी संख्या 4 से 8 नाम कमशः मोहनराम, रूघनाथ, पूनाराम, पुखाराम व अण्दी खेत मौजा पाबूसर के ख.न. 180 रकबा 175.02 बीघा में से 8.15 बीघा पश्चिमी दक्षिणी प्रतिवादी संख्या 4 से 8 के बंट कब्जे काश्त खातेदारी में रखा गया है।

5. प्रतिवादी सं. 09 के पूसाराम के बंट में :- खेत मौजा पाबूसर के ख.न. 180 रकबा 175.02 बीघा में से 35.01 बीघा बीच का जगदीश दुर्गा से पश्चिम में व हरका 2 जुगता से पूर्व में बंट कब्जे काश्त खातेदारी में रखा गया है।

6. खेत मौजा पाबूसर के ख.न. 180 रकबा 175.02 बीघा में से 8.15 बीघा प्रतिवादी संख्या 03 के बंट का था। जो उसने तुलछी पत्नी भैराराम को बैचान कर दिया। इसलिये प्रतिवादी संख्या 10 तुलछी के बंट व कब्जे काश्त व खातेदारी में रखा गया है जो उतर में आया हुआ है।

नोट : उक्त वादग्रस्त आराजीयन किसी भी बैंक में रहन है तो रहन मुक्त तक रहन यथावत रहेगी।

राजकेश मीना RAS  
सहायक कलेक्टर  
(SD), खीबसर

लीत.....मुबलिक.....बाबात.....खर्चा इस मुकद्दमें मय. सूद व शहर..  
.....फिस सदी सालाना आज की तारीख वसूलयोबो तक.....का अदा करें।  
बसीदा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16.5.2017.....

राजकेश मीना RAS  
सहायक कलेक्टर  
(SD), खीबसर